

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT**

No.: F.4(1)FD/Ex/2017-Part-I

Jaipur, Dated: 1st April, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(62)FD/Ex/96 dated 31.03.1997, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, under the head 1. EXCISE DUTY,-

- (a) in column number 2 against serial number (i), for the existing expression "price", the expression "price including the amount of export fee, Central Sales Tax (CST) and any other fee payable" shall be substituted;
- (b) in column number 3 against serial number (iii), the existing expression ", incremental overheads" shall be deleted;
- (c) in column number 3 against serial number (iii-A), for the existing expression "6.75%", the expression "10.00%" shall be substituted; and
- (d) in column number 3 against serial number (vi), for the existing expression "Rs. 127/-", the expression "Rs. 130/-" shall be substituted.

By order of the Governor,



(Hardyesh Kumar Juneja)
Jt. Secretary to the Government

02/2017-18

Copy forwarded to the following for information & necessary action:

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) Part II of extraordinary Gazette. 15 copies of the Gazette may please be sent to Excise Commissioner, Rajasthan, Udaipur with the bill and 5 copies of Gazette may please be sent to this department.
2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. Commissioner, Excise Department, Rajasthan, Udaipur.
4. PS to Principal Secretary, Finance Department.
5. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
6. Additional Director, Computer Cell, Finance Department, Secretariat, Jaipur.
7. Guard file.



Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी)विभाग

सं.प.4(1)वित्त/आब/2017-पार्ट-1

दिनांक : 01 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(62)एफ.डी./एक्स/96 दिनांक 31.03.1997 में तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-


संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष 1. आबकारी शुल्क के अधीन,-

- (क) क्रम संख्यांक (i) के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कीमत" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "निर्यात फीस, केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) और किसी अन्य संदेय फीस की रकम को सम्मिलित करते हुए कीमत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) क्रम संख्यांक (iii) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इन्क्रीमेन्टल ओवरहेड" हटायी जायेगी;
- (ग) क्रम संख्यांक (iii-क) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "6.75%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "10.00%" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (घ) क्रम संख्यांक (vi) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "127 रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "130 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

02/2017-18

राज्यपाल के आदेश से,


(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 05 प्रतियां इस विभाग को तथा 15 प्रतियां आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव